

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | मंगलवार 5 फरवरी 2013

7

- विजली अधिनियम, 2009, जहां तक लागू हो, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड एक्ट, 2000 के प्रावधानों, और आयोग के 2 दिसंबर, 2011 के आदेश के अंतर्गत जारी, बीएसईएस (बीएसईएस टैरिफ और रिटेल सप्लाई टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम व शर्तों) रेगुलेशंस 2011 जो कि 19 जनवरी 2012 को अधिसूचित किया गया के आधार पर, 30 मई, 2007 को जारी वित्त वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2010-11 तक के लिए पूर्ववर्ती एमवाईटी अवधि पर लागू की वित्त वर्ष 2011-12 के लिए भी मान्य किया गया— के मद्देनजर बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (अब से बीएसपीएस कहा जाएगा) ने 10 दिसंबर, 2012 को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (अब से बीएसईएस या आयोग कहा जाएगा) के समक्ष वित्त वर्ष 2011-12 के द्रुत, वित्त वर्ष 2012-13 के रिज्यू और कुल वार्षिक राजस्व जरूरत (एआरआर) के निर्धारण और वित्त वर्ष 2013-14 के शुल्क एडजस्टमेंट के लिए एक याचिका दायर की है। आयोग ने 16 जनवरी, 2013 के अपने आदेश के अंतर्गत इस याचिका को स्वीकार कर लिया है।

- याचिका के प्रमुख पहलु यहां नीचे दिए जा रहे हैं:

| क्रम संख्या | मद् | यूओएम | वित्त वर्ष 12 पीवाई | वित्त वर्ष 13 सीवाई | वित्त वर्ष 14 ईवाई |
|-------------|---|----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| A | ऊर्जा इनपुट | MU | 10902 | 10862 | 11197 |
| B | ऊर्जा जिसका बिल किया गया | MU | 9018 | 9125 | 9501 |
| C | साल के लिए वितरण घाटा | % | 17.28% | 16.00% | 15.15% |
| D | साल के लिए एटीएंडसी लॉस | % | 16.36% | 17.26% | 16.43% |
| E | विजली खरीद की औसत दर | ₹/kWh | 5.18 | 5.50 | 6.07 |
| F | विजली खरीद की कीमत— ट्रांसमिशन चार्ज के साथ * | ₹ Crores | 5650 | 5969 | 6796 |
| G | ओपरेटिंग खर्च | ₹ Crores | 428 | 465 | 500 |
| H | डेप्रिडिएशन— डेप्रिडिएशन के विपरीत एडवांस सहित | ₹ Crores | 231 | 160 | 174 |
| I | राज्यीय (रिटर्न+इंटररेस्ट) | ₹ Crores | 324 | 391 | 427 |
| J | अन्य खर्च | ₹ Crores | 98 | - | - |
| K | इनकम टैक्स | ₹ Crores | 38 | 31 | 33 |
| L | सप्लाई मार्जिन | ₹ Crores | 24 | - | - |
| M | जमा : वित्त वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2010-11 के लिए द्रुतगुण जरूरत | ₹ Crores | 295 | - | - |
| N | जमा : रेगुलेशन-12.1 के साथ, वित्त वर्ष 2007-08 का द्रुतगुण अप | ₹ Crores | 402 | - | - |
| O | जमा : वित्त वर्ष 2010-11 तक लेटर ऑफ क्रेडिट चार्ज | ₹ Crores | 6 | - | - |
| P | जमा : आरएंडएम और एएंडसी खर्च— याचिका संख्या 2012 का 177 | ₹ Crores | 106 | - | - |
| Q | जमा : फंडिंग डेफिसिट के लिए वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बॉरोइंग कॉस्ट | ₹ Crores | 16 | - | - |
| R | जमा : वित्त वर्ष 2002-03 से वित्त वर्ष 2006-07 तक आयकर का द्रुतगुण अप | ₹ Crores | 420 | - | - |
| S | घटा : नॉन टैरिफ आय/अन्य आय | ₹ Crores | 207 | 125 | 125 |
| T | कुल राजस्व जरूरत (एक से आर-एस तक का योग) | ₹ Crores | 7832 | 6892 | 7805 |
| U | वर्तमान टैरिफ के लिए उपलब्ध राजस्व | ₹ Crores | 4425 | 5890 | 6412 |
| V | वर्तमान टैरिफ पर राजस्व गैप (टी-यू) | ₹ Crores | (3407) | (1002) | (1393) |
| W | साल के दौरान कैरीइंग कॉस्ट | ₹ Crores | (826) | (1150) | (1326) |
| X | वित्त वर्ष 2011-12 के लिए ओपनिंग राजस्व गैप अप्रुव्ड | ₹ Crores | (3327) | - | - |
| Y | कुल राजस्व गैप | ₹ Crores | (7560) | (9339) | (11537) ¹ |

* विजली खरीद कीमत में आरएम चार्ज, खरीद ऑफिशियल चार्ज आदि शामिल हैं जो अब नए, वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः 287 करोड़ और 452 करोड़ रुपये की राशि हैं, जिसे बीएसईएस को निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक रूप से पूरा किया जाना है।
1 इस पब्लिक हियरिंग के पृष्ठ 4 में नीचे कि बताया गया है, उसमें वित्त वर्ष 2013-14 का 1383 करोड़ रुपये का राजस्व गैप भी शामिल है, जिसे वसूला जाना है।

- कंपेक्स प्रस्ताव

| मद् | यूओएम | वित्त वर्ष 2013-14 |
|----------------------------------|-------|--------------------|
| लगाया जाने वाला अनुमानित कंपेक्स | ₹ Cr. | 300 |

- वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व गैप, जिसे विजली दरों में बढ़ोतरी के माध्यम से भरना प्रस्तावित

| मद् | यूओएम | वित्त वर्ष 2013-14 |
|---|-------|---------------------|
| कुल वार्षिक राजस्व जरूरत | ₹ Cr. | 7805 |
| वर्तमान टैरिफ पर राजस्व | ₹ Cr. | 6412 |
| राजस्व (गैप) / सरप्लस | ₹ Cr. | (1393) |
| विचारित पीपीएस की माध्यम से रेवेन्यू गैप जिसे वसूला जाना प्रस्तावित है ¹ | ₹ Cr. | (1289) ² |
| टैरिफ बढ़ोतरी के लिए माना गया रेवेन्यू गैप | ₹ Cr. | (103) ³ |
| टैरिफ बढ़ोतरी/ (कमी) वर्तमान स्तर से | % | 1.61% |
| राजस्व गैप को भरने के लिए बिना पीपीएस के, औसत टैरिफ बढ़ोतरी की जरूरत ⁴ | % | 21.72% ⁵ |

नोट 1: याचिका में चित्र नहीं है।

नोट 2: माननीय आयोग द्वारा विभिन्न कॉर्पोरल सप्लाय करने की विधि में, विजली खरीद की कीमत— ट्रांसमिशन कॉस्ट सहित— में बदलाव की वजह से होने वाले रेवेन्यू गैप जैसे कि याचिकाकर्ता ने प्रोजेक्ट किया है, सामान्य टैरिफ बढ़ोतरी द्वारा वसूल किया जाएगा।

- विजली खरीद कीमत के एडजस्टमेंट संबंधी मैकेनिज्म में बदलाव
विजली खरीद और ट्रांसमिशन की लागत में किसी बदलाव की स्थिति में, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान मासिक राजस्व गैप की रिकवरी के लिए, विजली खरीद कीमत एडजस्टमेंट चार्ज— पीपीएस— के लिए रिवाइज्ड कॉर्पोरल की सलाह दी गई है।

- टैरिफ वसूली गीजर्स का प्रस्ताव:
प्रस्तावित नहीं

- वित्त वर्ष 2012-13 के राजस्व गैप की वसूली प्रस्तावित है: कंट्रोल अवधि वित्त वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि में रेगुलेटरी ऐंसेट्स की वसूली के लिए ऐसा मैकेनिज्म हो कि बच गई मुख्य रकम के कम से कम 15 प्रतिशत की वसूली एक साल में हो, और उसके बाद बच गई मुख्य रकम पर व्याज मिले

- 2011-12 के दौरान बीआरपीएस का प्रदर्शन

| मद् | रेगुलेटरी लक्ष्य | हासिल | टिप्पणी |
|--|------------------|-----------|---|
| वितरण घाटा | 14.57% | 17.28% | माननीय एंस्टेल के समक्ष 2012 की अग्रिम संख्या 61 के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के, वितरण घाटा और एटीएंडसी घाटे के लक्ष्य में छूट की मांग |
| एटीएंडसी घाटा | 15% | 16.36% | |
| बिलिंग फोल्ड में जोड़े गए औसत उपभोक्ता | NA | 96394 | उपभोक्ताओं के जुड़ने से राजस्व में बढ़ोतरी हुई, जिसने टैरिफ बढ़ोतरी में कमी के लिए योगदान दिया |
| नॉन टैरिफ आय/ अन्य आय | ₹ 55 Cr. | ₹ 207 Cr. | नॉन- टैरिफ आय में बढ़ोतरी ने टैरिफ बढ़ोतरी में कमी के लिए योगदान दिया |

- वित्त वर्ष 2011-12 में, 2 अगस्त 2011 को दिल्ली में विजली की पीक डिमांड रही 5028 मेगावॉट— जो 2010-11 में 4720 मेगावॉट थी, जिसमें 6.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई— को याचिकाकर्ता द्वारा पूरी तरह से पूरा किया गया।

| वर्ष | सूची | सूची | मैत्री |
|--------------------|-------|-------|--------|
| वित्त वर्ष 2011-12 | 3.483 | 3.891 | 0.046 |
| वित्त वर्ष 2010-11 | 3.105 | 3.887 | 0.041 |

- आयोग द्वारा जारी किए गए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग कंफ्रिडेंसिव (कंडक्ट ऑफ बिजनेस) रेगुलेशंस, 2001 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं और स्टेट होल्डर्स से अनुरोध है कि उपरोक्त याचिका पर वे अपना जवाब दें। 25.02.2013 तक आयोग के सचिव को निम्नालिखित पते पर जवाब भेजा जा सकता है। नीचे दिए गए पते पर व्यक्तिगत रूप से जाकर, या आक से जवाब भेजा सकता है। निम्नालिखित ईमेल पर भी आयोग के सचिव को जवाब भेजा जा सकता है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

विनियामक भवन, सी ब्लॉक, शिवाजी, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017
ईमेल आईडी : secy@dlc.nic.in टेलीफोन : 011-26673608

- बाद में आयोग जवाब देने वाले स्टेटहोल्डर्स के साथ पब्लिक हियरिंग करेगा। हियरिंग की तारीख के बारे में आयोग द्वारा अलग से सूचित किया जाएगा।

- बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019 स्थित बीआरपीएस मुख्यालय से याचिका की कॉपी 02.02.2013 से 25.02.2013 तक, किसी भी कामकाज वाले दिन में, राखी के फॉर्म में लेने के लिए प्रति राखी 25 रुपये के भुगतान पर और हार्ड कॉपी के फॉर्म में 100 रुपये के भुगतान पर— नकद या डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर देकर, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है। डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर नई दिल्ली में बीएसईएस-राजधानी पावर लिमिटेड के नाम देय हो।

- पूरी याचिका हमारी वेबसाइट <http://www.bseedelhi.com> उपलब्ध है। यह आयोग की वेबसाइट <http://www.derc.gov.in> पर भी उपलब्ध है। निरीक्षण के लिए याचिका की कॉपी उपरोक्त पता पर किसी भी कार्यदिवस में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच हमारे मुख्यालय और आयोग के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के लिए

अधोहस्ताक्षरी
राजीव चौधरी
प्रमुख— रेगुलेटरी अफेयर्स